

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म०प्र०)

<u>माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में</u> ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335 सूचना का

क्रंo/तकo/ 1814 प्रति, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:--

वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माड़ा एवं पूर्व सरई के विभिन्न आर.एफ. वन कक्षों के रकवा 1335.35 हे0 वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकवा 62.19 हे0 राजस्व वनभूमि कुल 1397.54 हे0 वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अन्तर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा.िल. का ऑनलाईन प्रस्ताव क. FP/MP/MIN/142344/2021

संदर्भ:-

- (i) आपका पृष्ठा. कमांक / एफ 1 / 845 / 2022 / 10 11 / 847 भोपाल दिनांक 06.02.2024
- (ii) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र कमांक 6-01/2024-एफसी दिनांक 02.02.2024
- (iii) प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड का पत्र दिनांक 11.03.2024 —000—

विषयांतर्गत अनुरोध है कि वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत रकवा 1335.35 हे0 एवं राजस्व वन भूमि रकवा 62.19 हे0 कुल रकवा 1397.54 हे0 भूमि मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड का सिंगरौली जिला के सरई तहसील में आवंटित धिरौली कोल ब्लाक हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तावित है।

संदर्भित पत्र (i) से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल द्वारा प्रस्तावित परियोजना में 15 बिन्दुओं की जानकारी चाहीं गयी है।

संदर्भित पत्र (iii) से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल द्वारा चाही गयी 15 बिन्दुओं की जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर टेबुलर फार्म में दो प्रतियों में मूलतः संलग्न कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

वन मण्डेल अधिकारी जिन मण्डल सिंगरौली

पृ0 क्रमांक/तक0/ 1815

सिंगरौली, दिनांक <u>13-03</u> -2029

प्रतिलिपि – 1. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा म०प्र० की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डल अधिकारी

Draft Reply from SMRPL to DFO Singrauli regarding the EDS raised for Dhirauli Coal Block

SI.No	EDS Query	Draft Reply
	Calculated area of Shape file/ KML file of Forest land proposed for diversion within the mining lease is found 1601.058 Ha (software calculated). However, instant proposal has been submitted for diversion of 1397.54 ha forest land only.	The total mining lease area of this project is 2672 Ha, out of which 1397.54 Ha is Forest land and 1274.46 Ha is non-forest land. By mistake the few patches of non-forest (revenue land) has been included in the KML of Forest land These revenue patches have been removed and modified KML file has been uploaded in Form-A (Part-1) of this proposal.
Ν	The Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary is located at a distance of 10.07 Km from the proposed forest land for diversion. Moreover, the State Govt. informed that the proposed area is falling within the 1 km of the elephant corridor as per the prevailing working plan for the period 2019-20 to 2028-29. Further, movement of leopard (Tendua) reported in the SIR of the DFO, Singrauli. Therefore, the comments from CWLW along with proposed mitigation	The closest Protected area to the Dhirauli coal block is Sanjar Tiger Reserve, and which is at more than 10 km. Thus, no wildlife clearance is required as per guidelines. Although, the proposed forest area is more than 10 km from Protected Area, but we have prepared a wildlife management plan, which is duly approved by CWLW. The copy of the approval granted by CWLW is enclosed and uploaded in Part-1 Additional information Section at Serial no.21. Elephant corridor is outside the proposed forest area of the Dhirauli coal block and the minimum distance of the block is 5 KM from the elephant corridor as per the new working plan of Singrauli forest division. Working plan of Singrauli forest Division is attached)

SI.No	EDS Query	Draft Reply
		3. The wildlife conservation and management plan prescribe the "Man-leopard conflict mitigation measures and other habitat conservation measures". These measures have been prescribed as per the MoEF&CC guidelines for dealing with Man-leopard conflict (reference: moef.nic.in/downloads/public-informat. Accessed on, 01-08-2011). The guidelines suggest a three-pronged strategy to deal with man-leopard conflict as a means to their conservation: i. Awareness generation among local communities, media and officials of various departments. ii. Establish trained teams at two levels: the primary response team and the emergency response team, and iii. Use of latest technology and scientific know-how to improve efficacy of capture, handling, care, and translocation of the animal. In addition to this, we are ready to accept any other condition imposed by MoEF or CWLW in this regard.
	The proposed forest land is having density of forests ranging from 0.4 to 0.6 density wherein	The species wise and diameter class wise details are already uploaded by DFO Singrauli in Part-II.
ω	5,70,666 no. of trees are estimated to be affected from the proposed activities. The detail of the forest crops and diameter classes of valuable trees estimated needs to be	As per mining plan, the felling will be required in the following manner. The table showing the timeline for phase wise felling is given below
	should also be indicated	

						, v <u>i</u>	2.4					
4								- 10				SI.No
The method of mining has been reported in the online application as Opencast + Underground. However, the State Govt. in their reference letter has mentioned the same as open cast method of mining. The state govt shall therefore examine the same and report whether the proposal is for underground mining, open cast mining or both. The detail of the proposal for OCP and underground are proposed for OCP and underground												EDS Query
	The pl mine. Ha CA											
In Dhirauli coal block we are having a Bottom, VII Combined which are at sworking. Further we have considered III Top and II Bottom which are more V Bottom, seam III Bottom and othe upon available technology.	The plantation will be taken up as mine. This is over and above the CHA CA area in non-forest land.	Total	Final Closure	Phase VII	Phase VI	Phase V	Phase IV	Phase III	Phase II	Phase I	Phasing of Land	
ck we are hed which a have conson which are modeled are Bottom aunology.	l be taken and above i-forest lan			31 to 40	21 to 30	16 to 20	11 to 15	6 to 10	4 to 5	1 to 3	Years from Start of mining operation	
aving 5 se are at shall sidered 04 e more tha nd other so	up as par e the CA p id.	1397.54	0	49.74	108.66	220.41	136.17	237.06	300.17	345.33	Forest Land (Ha)	<u></u>
ams viz VI ow depth a seams for n 1.5 metr	t of reclan	5,70,666	1	20,447	44,583	89,922	55,631	96,605	1,22,749	1,40,923	Tentative no of tree to be felled	Draft Reply
III Top,VIII C and will be m undergroun es thickness resent which	<u>∩ation activ</u> area @ 1000	2412	683	410	324	225	227	484	60	0	Tentative area for plantation after Excavation (Ha)	
In Dhirauli coal block we are having 5 seams viz VIII Top,VIII Combined,VII Top,VII Bottom ,VII Combined which are at shallow depth and will be mined by Open cast working. Further we have considered 04 seams for underground working namely VI,IV , III Top and II Bottom which are more than 1.5 metres thickness . In addition to this, seam V Bottom , seam III Bottom and other seam also present which will be mined depending upon available technology.	The plantation will be taken up as part of reclamation activity, during the life of mine. This is over and above the CA plantation area @ 1000 plants/Ha over 1400 Ha CA area in non-forest land.	36,19,500	10,24,500	6,15,000	4,86,000	3,37,500	3,40,500	7,26,000	90,000	0	Tentative no of tree to be planted (1500 Plant/Ha)	

SI.No	EDS Query	Draft Reply
	mining including the component wise KML file shall be submitted	First, open cast mining will be started and It will cover the entire Dhirauli mining block area. Subsequently, Underground mining is proposed in deeper seams below Opencast workings that may start almost a decade later.
		Thus, the area under opencast mining and underground mining is fully overlapping.
		The component wise breakdown of land is given in section 2.4 of Form-A (Part-1) and KML is also uploaded in Parivesh portal.
	falling in Inviolate or In High conservation zone value (HCV) with majority area falling in Very	mining in adjoining block of Dhirauli/ singrauli coalfields to meet the growing power demand of the country. However, MOC has a untipped if not for mining but for sustainable mining
	Dense Forest category. The state shall submit the justification for proposing such pristine area 8-01/2024-FC 1/64348/2024 for mining	With evolved concern on sustainability and as a sustainable miner, PP has conducted studies like:
O	Further, keeping in view the conservation	 Carrying Capacity,
	value of the area, the state shall intimate whether any impact assessment/biodiversity	 Ecosystem Services,
	study taking into account the impact of mining	Social Impact Assessment,
	has been carried out or not. If so the details be provided.	 Cumulative impact assessment,
		Subsidence study,
		Wildlife Conservation,
		 Pond de-siltation study,

SI.No	EDS Query	Hydrology and Hydrogeo	Draft Reply
			Hydrology and Hydrogeology study in the area to assess its impact with mitigative measures.
		PP has prepared a robust plan under EM and ecological concerns as well as to	inder EMP/EIA (Copy enclosed) to address environmental
		resources concurrently with proin a sustainable manner.	•
		in a sustainable manner.	
		We have additionally studied the potenti afforestation to be conducted over the ar	We have additionally studied the potential of carbon sequestration in Dhirauli area due to afforestation to be conducted over the area during the entire span of mining.
101E0E0	Satellite imagery and Land use plan submitted by the user agency reveals that there are five (5) transmission lines which are passing through the proposed forest land for diversion. The copy of approvals granted under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan), Adhiniyam, 1980 along with NoC from concerned agencies	Out of the five Transmission Lines (7 Transmission Lines belong to PGCIL a A. MPPTCL 132KV Transmission Line: The MPPTCL TL is already diverted (F approval for shifting the line was grante letter is enclosed. The 132KV line was B. PGCIL Transmission Lines:	Out of the five Transmission Lines (TL) passing through the Dhirauli Coal block, four Transmission Lines belong to PGCIL and one belong to MPPTCL. A. MPPTCL 132KV Transmission Line: The MPPTCL TL is already diverted (FP/MP/TRANS/155291/2022; 21.372 Ha), and final approval for shifting the line was granted by MoEF on 22.01.2024. The copy of the approval letter is enclosed. The 132KV line was first constructed in the year 1969. B. PGCIL Transmission Lines:
n	1980 along with NoC from concerned agencies to shift the power lines from the proposed area have not been submitted. The state shall	B. PGCIL Transmission Lines: Details of FC	sion Lines: Details of FC Granted of the four existing PGCIL Lines
	therefore submit the copy of approvals under Van (Sanrakshan Evam	SI. Description of No Transmission Line	Area Diverted Proposal Number (Ha)
< # m -10.0	copies of NOC from the concerned agencies. The state shall also intimate whether any additional forest land would be required for the shifting of transmission lines or not along with details	Diversion of 114.724 Ha of forest land for route alignment of 765 KV s/c Sasan-Satna CK in Favor of Power Grid Corporation Of India	114.724 FP/MP/TRANS/986/2011

					SI.No
					EDS Query
For the PGCIL Lines, a feasibility study was conducted to identify new alignment for	4	ω	N		
	Diversion of 204.356 ha of forest land in favour of M/s Power Grid Corporation Limited for construction of 765 KV Vindhyanchal Poling Station to Satna Circuit-II Transmission Line in Satna, Singrauli, Katni and Sahdol districts, Madhya Pradesh.	765 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	Diversion of 128.553 Ha of forest land for construction of 765 KV S/C SingrauliI-Sidhi-Satna Transmission line in favour of M/S Power Grid Corporation Of India Ltd, Madhya Pradesh.	Ltd. in District Singrauli, Sidhi and Satna, Madhya Pradesh	
	204,356	241.0995	128.553		Dra
	FP/MP/TRANS/2914/2013	FP/MP/TRANS/17449/2016	FP/MP/TRANS/3214/2011		raft Reply
	Stage-II Granted: 31.12.2014	Stage-II Granted: 18.09.2020	Stage-II Granted: 07.03.2013		

∞	7				SI.No
The proposal involves diversion of 1397.54 ha forest land out of which 225.4 ha has been proposed for external dumping and 6.3 ha has been earmarked for infrastructure which are non-site specific. The details of total overburden area in the proposal involving both forest as well as non forest land has not been submitted, which is required to be done. The state shall also explore the possibility of shifting of these components on non-forest land.	are also visible in the proposed forest land. The state shall submit the detail of mitigation measures in this regard along with the NoC/permission from the concerned department.	Presence of water hodion like National			EDS Query
 A. Justification for using 225.4 Ha Forest land for External Dump (OB): Dhirauli Coal block has been envisaged as Combination of both, Opencast and Underground mine. Dhirauli OC coal mine is very high strip ratio (10.55 Cum/t) mine and to extract 186.06 Mt coal, 1963.55 MBCM OB shall be removed. The OB dump area is combination of Private, Govt and Forest Land and is the only available land inside the Dhirauli block for dumping Overburden (OB). After optimization (including rehandling of the OB), the revised forest area required for External dump is 132.28 Ha. The revised component wise KML is attached and also uploaded in Form-A (Part-1) in Parivesh portal. We have now re-planned the infrastructure locations inside the block, and all the infrastructure components will be in the non-forest land. The revised component wise breakdown of land is given below. 	The project proponent has prepared "Hydrology Report" for management of Nala tributaries in & around Dhirauli Coal Block. The DPR has been approved by WRD vide Memo no. 2512/G/W/MP/1-48 of 22 dated 19.04.2022. The copy of the NOC from WRD for Nalla diversion is uploaded in parivesh portal as an annexure document.	The tentative area that is currently being used by the four PGCIL lines is 61 Ha of forest land (inside Dhirauli Coal block). For shifting these Transmission lines outside of Dhirauli Coal Block, additional forest land will be required.	These Transmission lines will be shifted before the operation reaches close to safety distance from the TL. THDC has recently diverted Powergrid TL in the Amelia Coal Block (in Singrauli Division).	1) in Parivesh portal. The proposal for shifting (re-diversion) of the four existing lines of PGCIL is under process.	Draft Reply

	EDS Query	S N N		raft Reply	Area inside (in Ha)
		O NO	Component Name		Forest
		1	Excavation Area	+	1180.14
		2	Safety Zone	-	10.46
		ω	Green Belt Area	4	30.97
		4	Rationalization Area		33.31
		5	Infrastructure Area		0.00
		6	OB Dump Area		132.28
		7	Other uses (Garland Drains)	s)	
		8	Other uses (Road Diversion)	2)	າ) 2.56
		9	Other uses (Embankment)		5.07
		10	Other uses (Setting Pond)	<u> </u>	0
>			Total Area		1397.54
9 87 T 87	67.11 ha is designated as undisturbed area. The purpose and reason for including the same in the instant proposal has not been	Rational scatters. The tot	The appropriate term (as per mining Rationalized area, these are scattered scattered patches shall be used for miscome total Rationalized area is 72.24 Ha.	er mining p scattered d for misce 72.24 Ha. (The appropriate term (as per mining plan) for the undisturbed area component is Rationalized area, these are scattered small patches inside the mining area. These scattered patches shall be used for miscellaneous activities including plantation. The total Rationalized area is 72.24 Ha. Out of 72.24 ha, forest land is 33.31 Ha and the
2 8	Afformation boo	balance	balance area (38.93 Ha) will be in non-forest area.	in non-for-	in non-forest area.
a P (proposed in total 45 patches comprising an area of 1397.523 ha wherein two CA patches	A. Rec	larding CA patches in vi DFO Shivpuri provideo	Illage Implip	Regarding CA patches in village Implipura (khasra no 2 & 19). 1. DFO Shivpuri provided the site suitability certificate stating that based on ground
na Si Si	namely Village Imlipura, Khasra No 2 and 19, Shivouri District are falling in the Forest		report and forest compartment forest compartment boundary.	partment ma oundary.	report and torest compartment maps, the said khasras (no 2 & 19) are outside the forest compartment boundary.
10 Co	compartment boundary as per DSS analysis. Moreover, these two patches are also located	'n	District Collector Shivpuri also prevenue land and a No Objection	/puri also pro lo Objection I	District Collector Shivpuri also provided a letter stating that the said khasras are revenue land and a No Objection Letter (NOC) to transfer the land to Forest Dent
3 s.	in Tiger corridor. The state shall examine the matter and ensure to provide NFL for CA as		tor CA purpose has been obtain uploaded as annexure in Form-A	been obtaine e in Form-A (for CA purpose has been obtained. The NOC and Khasra P-II are enclosed and uploaded as annexure in Form-A (Part-1)
22	per guidelines. The CA sites namely Village - Dhandheda Kanad (Kh No 102,80,139,103),	Rai	Raipuriya (Kh No 78, 128 and 105)	and 105)	Raipuriya (Kh No 78, 128 and 105)

SI.No	EDS Query	Draft Reply
	Village - Raipuriya (Kh No 78, 128 and 105) are located on the earthen dam, which may not be suitable for raising CA and the land may not be free from all encumbrances. Further, the documentary evidence of proposed CA site	- 1
	occumentary evidence of proposed CA site namely Village: Raghunathapura (Survey No. 3), Shivpuri District revealed that the ownership of land is with the Example ownership ownership of land is with the example ownership ownership ownership of land is with the example ownership owne	 In Dhandheda Kanad, due to rainwater flowing, fissures in the form of gullies got created. There are NO artificial earthen dam constructed in the proposed patches. Regarding CA land patch in village Village: Raghunathapura (Survey No. 3), Shivpuri
	Department. The state shall examine the issues as above and ensure that all the CA	District 6. DFO Shivpuri got the area inspected by SDO Forest and Bairad Tehsildhar, and the said land is Not Forest owned land. In Forest mans the proposed CA area is
	areas are suitable, free from encumbrances and eligible for the purpose of CA as per prescribed guidelines.	outside the notified forest compartment 7. The said CA patches are encroachment and encumbrance free. 8. The Khasra P-II from 2000 to 2024 as a control of the control of
		Coal Transportation Pathway:
	Mode of mineral/ coal transportation route and how the requirement of electricity and water will be met has not been given in the proposal. The state shall therefore submit the detailed.	 Coal that will be mined out from this block will be transported using the existing road of "Suliyari-KhanuaKhas-Rajmilan" To Gajra behra railway siding & also to the Adani Power Plant (MEL) in Bandhaura. The KML and plan of the transportation
11	mineral evacuation plan along with the details as to how the requirement of electricity and	In future a new Belt conveyor is being planned from Dhirauli Coal Block to Mahan Engage Limited (LEAS).
	water would be met. The detail of additional forest land required for the purpose (if any)	transport and it will help to improve environment condition.
	shall also be submitted.	The note on mineral (coal) transportation pathway is enclosed and uploaded in Parivesh portal.
		Also, a map showing coal transportation pathway is enclosed, and uploaded in the parivesh portal along with KML.
3	In accordance with the Para 7.8(i) of Chapter 7 of the consolidated guidelines and clarification	Despite having a target of achieving 50 per cent power generation through non-fossil fuel sources by 2030. India would require additional coal find apparation through non-fossil fuel
	issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 1980 and Van	

5		15	14	13					SI.No
	mining only.	As per the 3-D subsidence prediction study report Maximum tensile strain reported in the proposed area is 17.47. The state shall examine the same and submit its comments	As per the SIR of the DFO, Singrauli Division, rights of 49 leaseholder have been 8-01/2024-FCI/64348/2024 recognized in the proposed area. The state shall submit details of the same and status of R&R plan.	such as Cost of Human resettlement, Loss of public facilities has not be ascertained in the Cost-Benefit analysis, which is required to be done.	The Organitative values on the page 1		necessity of opening the new mining lease along with details.	(Sanrakshan evam Samvardhan) Rules, 2023,	EDS Query
	First, open cast mining will be started and It will cover the entire Dhirauli mining block area. Subsequently, Underground mining is proposed in deeper seams below Opencast workings that may start almost a decade later.	In Dhirauli coal block we are having 5 seams viz VIII Top,VIII Combined,VII Top,VII Bottom ,VII Combined which are at shallow depth and will be mined by Open cast working. Further we have considered 04 seams for underground working namely VI,IV , III Top and II Bottom which are more than 1.5 metres thickness . In addition to this, seam V Bottom , seam III Bottom and other seam also present which will be mined depending upon available technology.	The total displaced families inside Dhirauli Coal block are 620 and out of which the 49 patta holders are recognized in the Dhirauli Coal block and the cost of their displacement is included in R&R plan and the R&R plan is approved by Competent Authority. The 49 Patta holders' details are uploaded in the Parivesh portal (Additional Information section, Sl.no 8 & 9).	In the uploaded Cost-Benefit Analysis (CBA) report the Cost of human re-settlement in Forest land and loss of public facilities have been included in the Project Cost (Approved R&R Plan).	SMRPL (Stratatech Mineral Resource Pvt Ltd) has been alloted the Dhirauli Coal block. SMRPL company is responsible Miner and deforestation, and afforestation is planned parallelly while trying to maintain eco-system balance	To meet the power demand of Country, Ministry of Coal has identified several coal blocks and auctioned them as commercial coal blocks and Dhirauli was one of them.	For the forecast period till 2026, the estimated Indian coal demand is likely to rise by 3.5 per cent annually to 990 Mt.	Total Coal Production of India during 2022-23 was 893.19 Mt.	Draft Reply

Proposal is not for underground mining only. The component wise breakfown of lead is given in section 2.4 of Form	is also uploaded in Parivesh portal.		
Proposal is not for underground mining only.	The component wife brookdown of lead is given in spetion 2.4 of Form		
	Proposal is not for underground mining only.		
	Draft Reply	EDS Query	ON.IO

Stratatech Mineral Resources Private Limited

प्रति.

दिनांक: 11.03.2024

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, सिंगरौली जिला– सिंगरौली (म0प्र0)

विषय:— वन मंडल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माड़ा एवं पूर्व सरई के विभिन्न RF वन कक्षों के रकबा 1335.35 है0 वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकबा 62.19 है0 राजस्व वन भूमि कुल 1397.54 है0 वनभूमि में घिरौली कोल ब्लाक अन्तगर्त ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि. का आनंलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/142344/2021।

वन मण्डल अधिकारी है.

संदर्गः— 1. Letter of Government of India, Ministry of Enviornment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), New Delhi Dated 02.02.2024.

2. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ—1 / 845 / 2022 / 10—11 भोपाल दिनांक 06.02.2024 ।

विषयांतगर्त उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में जारी EDS का प्रतिउत्तर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त EDS का प्रतिउत्तर टेबुलर फार्म में तैयार कर आवश्यक दस्तावेजो सहित दो प्रतियों में आपके समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार



प्राधिकृत अधिकारी

स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड

Stratatech Mineral Resources Private Limited Adani Corporate House, Shantigram, S G Highway Ahmedabad 382 421 Gujarat, India


Tel +91 124 255 5555
Fax +91 79 2555 5500
Info@adani.com
www. adanienterprises.com

CIN: U14290GJ2019PTC110138

Regd Office: "Adani Corporate House", Shantigram, Nr. Vaishnodevi, S. G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad – 382421

SI No	Component Name	Area insi	Total Area (Ha	
		Forest	Non Forest	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1	Excavation Area	1180.14	1028.09	2208.23
2	Safety Zone	10.46	9.61	20.07
3	Green Belt Area	30.97	15.49	46.46
4	Rationalization Area	33.31	38.93	72.24
5	Infrastructure Area	0.00	24.16	24.16
6	OB Dump Area	132.28	149.39	281.67
7	Other uses (Garland Drains)	2.75	2.59	5.34
8	Other uses (Road Diversion)	2.56	1.51	4.07
9	Other uses (Embankment)	5.07	2.43	7.50
10	Other uses (Setting Pond)	0	2.26	2.26
	Total Area	1397.54	1274.46	2672.00

RF 357 RF 360 RF 361 RF 362 RF 363 RF 364 RF 370 RF 377 RF 377 RF 356 RF 354 0.29 100.15 228.69 172.43 252.09 123.26 53.64 103.46 19.90 40.70 1.44 Safty Zone
Name
RF 377
RF 373
RF 372 RF 364
RF 362
RF 337
RF 353
RF 354
RF 356
RF 356
RF 357
RF 350
RF 359
Revenue Forest
Non Forest
Total RF 370 RF 371 0.20 0.90 0.34 0.92 0.01 0.30 9.61 0.59 0.91 0.48 0.76 1.50 0.58 0.52 0.50 RF 353
RF 356
RF 351
RF 357
RF 360
Revenue Forest
Non Forest
Total Green Belt Area
Name Area
154 8.51
1.62 RF 362 RF 364 4.94 3.61 2.67 0.74 2.89 3.06 Revenue Forest Non Forest Total Retionalization / Name RF 337 RF 354 RF 373 RF 377 RF 371 RF 372 RF 370 RF 363 RF 360 RF 357 RF 362 RF 353 RF 353 RF 354 Area 2.08 1.68 3.37 1.96 1.14 0.20 9.59 1.42 0.29 0.31 1.04 0.68 0.42 2.47 38.93 2.24 4.42 Infrastructure Area
Name Area
Non Forest 24.16
Total 24.16 Compartmen Non Forest Total Setting Pond 2.26 2.26 Area Revenue Forest Compartmen RF 361 RF 360 Non Forest Total 149.39 281.67 Area 19.26 104.14 8.88 Revenue Forest Compartmen RF 377 RF 373 RF 372 Non Forest Total 7.50 0.12 1.71 2.64 2.43 Revenue Forest
Non Forest
Total RF 373 RF 372 RF 360 RF 357 RF 362 RF 364 RF 353 RF 356 RF 356 Name A RF 337 C RF 354 C RF 370 C RF 371 RF 377 0.16 0.20 RF 361 Revenue Forest Non Forest Total Name RF 357 RF 354 RF 360 RF 353 RF 356 0.18 0.49 0.51 0.45



OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER GANGA BASIN REA (M.P.)

(Email id cegangabasinrewa@gmail.com) Memo No. 2512 G/W/MP/ 1-48 of 22

Rewa Date 19-4-22

The Project Head Dhirauli Coal Mine (The "Block") M/s Stratatech Mineral Resources Pvt.Ltd.(SMRPL) Tehsil-Saral District-Singrauli (M.P.)

No Objection certificate (NOC) and Permission for diversion of Hurdul Nalla for Dhirauli Coal Block which is an Open cast cum Underground mine of 6 5MTPA (5 MTPA Open Cast & 1.5 Sub-MTPA Underground) in Mine Lease Area of 2672 Ha held by M/s Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL) located at village Dhirauli, Phatpani, sirswah, Amdand, Jhalari, Amraikhoh, Basiberdah and Belwar, Tehsil-Sarai, District-Singrauli, Madhya Pradesh

1 Executive Engineer Water Resources Division No 2 Singrauli letter No 374/W/2022 singrauli Dated 09/02/2022

Your letter No.SMRPL/HG/2022/79 Date 03 01 2022

With Reference to above cited subject, there is a Proposal to divert primary streamlet flow of Hurdul Nalla and surface run off water along periphery of mine lease boundary through construction of Catch drain. The peak flood discharge of Hurdul watershed i 702m3/s and the proposed diversion of Hurdul Nalla trench will be having a length of 6900 meters. The average hydraulic gradient of the diverted trench will be 1:100 and the garland drain/catch drain will be constructed in trapezoid shape with dimension of 1.5H:1 side length and floor width of 4m,3 meters water depth and 2m free board.

Based on the above technicaljustification, the Detailed Project Report (DPR) is approved and subsequently No objection certificate (NOC) & Permission/Approval has been issued for DIVERSION OF

HURDUL NALLA for Dhirauli Coal Mine (The "Block") with following condition:

Diversion of Hurdul Nalla will be carried out by M/s SMRPL under supervision of office of the 1 Chief Engineer, Ganga Basin, Rewa, Madhya Pradesh.

During monsoon period surface runoff should pass through sedimentation tank to arrest debris and 2 Total suspended solids (TSS) before water is discharged into Hurdul Nalla.

During Non-monsoon period mine seepagewater should be treated to the extent of BIS standard for 3 drinking water (IS10500-2012) before discharging into Hurdul Nalla.

All expenditure on account of construction of catch drain will be borne by Company. 4

The land acquisition for construction of catch drain belonging to either Govt. or Private will be 5 responsibility of Company.

Permission from forest department and other departments will be responsibility of company. 6

Encl-One Copy of DPR

Chief Engineer Ganga Basin Rewa (M.P.)

Rewa Dated ... 19-4-22

End No 25 \3 /G/W/MP/ 1-48 of 22

Copy forwarded to

Executive Engineer Water Resources Division No.2 Singrauli (M.P.) for information. Encl-Nil.

> (C. M. Tripathi) 19.4.2022 Chief Engineer Ganga Basin Rowa (M.P.)

Stratatech Mineral Resources Private Limited

Ref No- SMRPL/FC/2024/01

Date:- 11-03-2024

Note on Coal Dispatch from Dhirauli Coal Mine

Dhirauli coal block in Singrauli coalfield, in the state of Madhya Pradesh has been allotted to M/s Startatech Mineral Resources Private Limited(SMRPL) vide letter no NA-104/7/2020-NA dated 03.03.2021 by the Ministry of Coal.

The block is accessible by the road from Singrauli as well as from Waidhan.

Coal Transportation Pathway:

- 1. Coal that will mined out from this block will be transported using the existing road of "Suliyari-KhanuaKhas-Rajmilan" To Gajra behra railway siding & also to the Adani Power Plant (MEL) in Bandhaura. The KML and plan of the transportation route is attached with this letter.
- 2. A new Belt conveyor is being planned from Dhirauli Coal Block to Adani Power Plant in Bandhaura.

Attachment- KML of Coal transportation route
Plan of Coal transportation route

Authorized Signatory

(Mr. Bacha Prasad)

Chief of Cluster- Singrauli


Stratatech Mineral Resources Private Limited


Stratatech Mineral Resources Private Limited Adani Corporate House, Shantigram, S G Highway Ahmedabad 382 421 Gujarat, India CIN:

U14290GJ2019PTC110138

Tel +91 124 255 5555 Fax +91 79 2555 5500 Info@adani.com www.adanlenterprises.com

Regd Office: "Adani Corporate House", Shantigram, Nr. Vaishnodevi, S. G. Highway, Khodiyar. Ahmedabad - 382421





Stratatech Mineral Resources Private Limited

क्रमांक :एस.एम.आर.पी.एल./2024/02 प्रति

दिनांक : 11.03.2024

वनमण्डल अधिकारी महोदय जिला- सिंगरौली (म०प्र०)

विषय -

धिरौली कोल ब्लाक के अतंगर्त ग्राम बासी बेरदह के वनाधिकार पट्टाधारियों के संदर्भ में।

महोदय

विषयांगर्त लेख है कि स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आबंटित धिरौली कोल ब्लाक के अंतगर्त ग्राम बासी बेरदह के 60 वनाधिकार पट्टाधारियों में से 49 वनाधिकार पट्टेधारी धिरौली कोल ब्लाक से प्रभावित हैं, जिसका कुल रकवा 49.343 हे0 है। उक्त के संबंध में विवरण पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेत् आपकी

ओर प्रेषित है।

धन्यवाद

प्राधिकृत अधिकारी

स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड

Stratatech Mineral Resources Private Limited Adani Corporate House, Shantigram, S G Highway Ahmedabad 382 421 Gujarat, India CIN:

U14290GJ2019PTC110138

Tel +91 124 255 5555 Fax +91 79 2555 5500 Info@adani.com www. adanienterprises.com

Regd Office: "Adani Corporate House", Shantigram, Nr. Valshnodevi, S. G. Highway, Khodiyar. Ahmedabad - 382421

ग्राम बासीवेदहा में प्रदाय वन अधिकार पत्रों की सूची

15	पं.क्रमांक	ग्राम पंचायत	ग्राम	दावेदार का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	कक्ष क्रमाक	प्लाटसं ख्या	रकबा हे.	वनमित्र का दावा क्रमांक
1	10643	मझौलीपाठ	बासीवैरदह	रामसिंह	माधव सिंह	गोंड़	RF 354	1	0.564	
2	10644	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	धनपत	जगदीस सिंह	गोंड़	RF 362	1	2.523	
3	10645	मझौलीपाठ	बासीवैरदह	रामसिंह	नारायण	गोंड़	RF 365	1	0.727	
4	10646	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	सुदर्शन सिंह	देवकरन	गोंड़	RF 362	1	1.000	
5	10647	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	लालबहीदुर	फिरंगी	गोंड़	RF 362	I	1.879	
6	10648	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	जीवनप्रसाद	पूरन	पनिका	RF 361	3	0.884	
7	10649	मझौलीपाट	बासीबैरदह	नन्दलाल	जगत सिंह	गोंड़	RF 362	1	0.998	
8	10651	मझौलीपात	बासीबैरदह	रामिकसुन	देवीदयाल	वियार	RF 361	1	1.532	
9	10652	मझौलीपा	उ बासीबैरदह	सुकवरिया	रामपियारे	खैरवार	RF 364	1	0.578	
1			_	सुग्रीव सिंह	रामधन	गोंड़	RF 361	1	0.384	
-	1 1065			शिवप्रसाद 🗸	हीरालाल	खैरवार	RF 361	1	0.840	
-	12 1065			श्रीलंका सिंह	जागवली	गोंड़	RF 361	2	1.055	
-	13 1063			सूर्यभान	अमृत सिंह	गोंड़	RF 361	1	0.850	
-	14 106		ाठ बासीबैरदह	सीताराम	शिवनाथ	गोंड़	RF 354	1	0.618	
r	15 106:	8 मझौलीप	ाठ बासीबैरदह	श्यामलाल	छोटेलाल	बैगा	RF 362	1	0.653	
1	16 1065	9 मझौलीप	ाठ बासीवैरदह	रामचरन	छनार	बैगा	RF 362	1	1.696	
	17 1066	0 मझौलीप	ाठ बासीबैरदह	बुद्	दैजनाध	गोंड़	RF 361	2	1.668	
	18 1066	2 मझौलीप	ाठ बासीबैरदह	हीरासिंह 🧼	जेलन 🗸	गोंड़	RF 361	1	1.665	
1	1066	3 मझौलीप	व बासीबैरदह	महिपाल	महेश्वर	गोंड़	RF 361	1	0.813	
2	1066	4 मझौलीपा	ट बासीवैरदह	लक्षई	बेजू	गोंड़	RF 362	1	2.128	
2	1 1066	5 मझौलीपा	ठ बासीवैरदह	अर्जुन सिंह	रूपसाह	गोंड़	RF 361	1	0.756	
2	2 1066	6 मझौलीपा	ठ बासीवैरदह	रंगदेव	वैजनाथ	गोंड़	RF 365	1	0.953	
2	3 1066	7 मझौलीपा	ट वासीवैरदह	विफुन सिंह	दलवीर	गोंड़	RF 354	1	0.446	
2.	4 1066	3 मझौलीपा	उ वासीवैरदह	बंशपति	जगदीश	गोंड़	RF 362	1	1.520	
2	10669	मझौलीपा	व बासीवैरदह	उमरपाल	अमृतसिंह	गोंड़	RF 361	2	1.206	
26	10670) मझौलीपा	वासीबैरदह	पृथ्वीपाल	अमृत सिंह	गोंड़	RF 361	1	0.983	
27	10671	मझौलीपाव	यासीवैरदह	रामजंतन	रामऔतार	वियार	RF 361	1	0.723	
28	10672	मझौलीपाट	वासीवैरदह	इन्द्रपाल	अम्मर सिंह	गोंड़	RF 361	1	0.692	
29	10673	मझौलीपाट	बासीयैरदह	रनमत सिंह	रामलक्षिमन	गोंड़	RF 362	1	0.613	
30	10674	मझौलीपाट	वासीवैरदह	मुन्नीला ल	छतरपाल	वैगा	RF 361	1	0.498	
31	10675	मझौलीपाट	वासीवैरदह	बुधलाल	ठाकुरदीन	वैगा	RF 361	1	1.422	
32	10676	मझौलीपाट	वासीवैरदह	जमाहिर	रामदयाल	बैगा	RF 361	2	3.076	
33	10677	मझौलीपाट	वासीवैरदह	झगड़	मुरली	वैगा	RF 361	2	1.041	
34	10678	मझौलीपाट	वासीवैरदह	धीरसाह	मुरली	वैगा	RF 362	1	1.175	
35	10680	मझौलीपाट	वासीबैरदह	जागवली	मगलू	वैगा	RF 361	1	1.048	
36	10681	मझौलीपाट	वासीवैरदह	गिरदावल	रामदयाल	बैगा	RF 361	1	0.727	



	d	क्रमांक	पं	ग्राम वायत		दावेदार का नाम	पिता/पति का ना	न जा	ते कक्ष क्रमाय	प्ला		
4	4	10682	गडों।	लीपाछ	वासीयैश्यए	एर मंगल	रारणू	गौंद	TUF 354	1	1.1	74
	1	10683	गझी	लिपाठ	वासीयैरवए	धनीरिांत	विलराग	गींव	RF 354	1	0.3	63
3	1	10684	मझं	ोलीपाठ	यासीवैरदह	रागयदन	घुरख	गाँउ	KF 354	1	0.25	The state of the s
41	+	10685	गड	गैलीपाठ	वासीवैरदछ	माधय सिंह	गितन	गोंड	RF 354	1	0.83	13
4	十	10686	मपु	गौलीपाठ	वासीवैरदए	अम्यर शिष्ठ	रघुनाथ	गाँड	ILF 361	1	0.68	7
4	2	10687	म	इ ौलीपाठ	वासीवैरदए	नार्गल सिंह	यलराग	वैगा	RF 354	2	0.02	3
4	13	10688	म	डाौलीपाठ	वासीवैरदह	रामप्रसाद	घुरउ	गोंड़	KF 354	1	0.334	1
	44	10689	1	म् <u>ज</u> ौलीपाठ	वासीवैरदष्ट	अहियरन	जागयली	गॉड़	RF 354	1	0.841	
	45	10690) ;	नझौलीपाट	वासीवैरदह	लखपति	मंगल सिंह	गॉड़	RF 354	2	1.670	
	46	1069	1	मझौलीपाट	वासीवैरदह	राम सिंह	जगधारी	गोंड	RF 354	1	0.643	
	47	1069	2	मझौलीपा	उ वासीवैरदह	लल्लू	जंयपाल	वैगा	RF 357	1	1.706	
1	48	1069	93	मझौलीपा	ठ वासीवैरदह	जयलाल	छनार	वैगा	RF 357	2	1.128	
	49	106	94	मझौलीप		पीरू	रामस्रात	वैगा	RF 357	2	1.192	
	5	0 106	95	मझौलीप		मनफेर	ज्यसाल	वैगा	RF 357	2	1.299	
	15	51 188	371	मझौलीप		लखपति	लीरध	वैगा	RF 361	1	0.390	
	L	52 183	372	मझौलीप	meet in section of it is a	रामसुन्दर	यसर्थस	वैगा	RF 357	2	1.034	
	L	53 10	579	मझौलीप	ाठ यांसी वैरद	ह छोटेलाल	पाहदेध	वैगा	RF 362	1	0.696	
	L	54 10	696	मझौलीप	ाठ वांसी यैरद	ह नानदाउ	ज्यलाल	वैगा	RF 357	1	1.049	
	L	55 10	697	मझौलीप	ाठ वांसी वैरद	ह वालमुकुन्द	ददई	गोंड़	RF 357	1	0.077	
	L	56 10	550	मझौलीप	ाठ वांसी बैरद	ह रामनारायण	पूरन	पनिका	RF 361, 362	1	0.959	
		57 100	561	मझौली	गठ वासीवेरदह	नागेन देवी	'धीरसाह	बैगा	RF 361	1	4.000	
		58 239	97	मझौलीप		लक्षन्धारी	रामसुन्दर अगरिया	अगरिया	RF 362	1	0.628	
	1	59 201	757	मझौलीप		श्री नेपाल सिंह	नन्दलाल सिंह	गोंड़	PF 284	2		NI50404500006
		60 207	155	मझौलीप	ाठ वासीवैरदह	अजमर सिंह	मोहन सिंह	गोंड	RF 361		-	NI50404500007

सहायक आयुक्त 3) थ्ये जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरौली कार्यात्वय उपखण्ड अधिकारी / भू—अर्जन 'अधिकारी | देवसर, जिला—सिंगरीली (म0प्र0) सुतिबसी कोत माइन जिला–सिंगरीली से प्रमावित वन खण्ड फीएफ0 कक्ष कमांक 315 में जारी किये गये वनाविकार पत्र की पूमे एवं उस पर स्थित परिसर्पात्तयों का गजना पत्रक (भूमि का मूल्यांकन वन खण्ड के सभीपी ग्राम डॉगरी के लिए निर्वालित गाईड लाईन वर्ष 2013–14 के आधार पर किया गया है)

	असित पूर्न का विवरण (कि की)	a Burra	अधित भूम की किस्स (हैंग थैं)	The second second	पाना⊸ के प्रकाशन दिनांक का बाजार दर प्रतिश ट्रेश		अधित रकम का बाजार मृत्य (हैं० में)	10 mg	अजिंत भूमि का	Of A	विति मृति ।	अधिंत मृषि अधिंत मृषि पर	Miss	ř ř	आजत गूम पर तथा पुन			स्थित गंकान		किया क्ष	Į.	मिता रिटमन		8 4	an car as . L est as . L est as .	1 -4
भूति स्वाची का जन्/विद्या का नक्त,		ar felicit		1				T	कुत याजार मृत्य मे मकान शे का कृषि कुछ में अच्छादित योग्य शे	अच्छादित	मा सुव	गेठ . बन्धा. नटोर की	रीर फलदार	RI	फलदार	क्रीगत (योग)	_			4	-	-	18+20	aryee eff	d to writh	
	अस्ता न	中で 元	जिल्ला रकवा	Tiber Tiber	असिवित	सिधित	असिवित	सिवित	(441)	2200	2445	SF S	संख्या कीमत	क्षेत्रत	संख्या कीमत	10	P	Diside Incom.		-					E E	
	- 1		-		,			4	7	43	4.2	44	15	46	12	13 14	T	15 1	16 17	18	3 19	20	21	22	23	
2 जी प्रताप सिंह पिता भी सम निंह साठ प्रतनी	3 PF-315	0.548	9750	0.00	1787500	3038000	979550	0	979550	000	0.548	17229.12	0		-	0	7.1	1 131	131000 0	0	0	•	1127779	1127779	628467	
तजपति पिता थी फकीर सिंह गोड सा० धत्तरी	PF-315	950	0.560	000	1787500	3039000	1001000	0	. 1001000	000	0.550	17808.4	,0	0	0	0			0	•	-	0	1018606	1018606	567629	
सज्जपति पिता श्री कवकीर सिंह. सतत्र सिंह पिता सज्जपति सिंह	PF-315	0	0.000	000	0	•	0	۰	0	06.90	2000	0	0	0	0	0		1 517792	792 0	-	-	31735	5 549527	549527	306230	
नम रू भिता औ वशपति अगरिया मा० द्राल ती	PF-315	0.645	0.545	000	1787500	3039000	3039000 1152937.5	0	1152937.5	00'0	3.948	20278.8	0	0	0	0		0	0	-	0	۰	1173216	1173216	653787	
समारू फिटा औ। वसपति अगरिया, इतवाने वरस/समारू. कृष्णा/समारू पन्नी हुटईया	PF-315	0	0.000	000	٥	0	0	0	•	000	0.000	o	9	0	0			33	337868 0		-	31735	369603	365603	205965	
वांग		1,753	1,763	000	5362500	9117000	9117000 3133488		3133488	0.00	1.753	55114	•	•		1		-	0 000000	-	,	\neg		********	2,000,000	

उपकारक-वाधिकाती/मू-अर्जन अधिकारी देवसर, जिला सिंगरीती (1080)

ग्राम बासीबेरदाह, तहसील सरई, जिला -िसंगरौली में वितरित किये गये वनाधिकार पत्रों की सूची नाम / पति का नाम रकवा (हे0 में) रिमार्क क्रमांक जाति कक्ष क्रमांक राम सिंह पिता- माधव सिंह गोंड 0.564 House 1 354 जीवन प्रसाद पिता– पूरन HOUSE पनिका 0.884 361 2 नन्दलाल पिता– जगत सिंह HOUSE गोंड 0.998 3 362 रामनारायण पिता– रामपियार गोंड 1.783 HOUSE 362 4 रामकिसुन पिता– देवीदयाल HOUSE बियार 1.532 5 361 सुकवरिया पत्नी- रामपियारे खैरवार 364 0.578 LAND ONLY 6 सुग्रीव सिंह पिता– रामधन गोंड 0.384 LAND ONLY 7 361 श्री लंका सिंह पिता- जगबली LAND ONLY खैरवार 1.055 8 361 सुर्यभान पिता– अमृत सिंह LAND ONLY गोंड 361 0.85 9 सीताराम पिता– शिवनाथ गोंड 354 0.618 House 10 श्यामलाल पिता- छोटेलाल 11 बैगा 362 0.653 House रामचरण पिता– छत्तर बैगा Land Only 1.696 12 362 बुद्ध् पिता- बैजनाथ गोंड LAND ONLY 361 1.668 13 गोंड हीरा सिंह पिता- जयकरन 361 1.665 House 14 महिपाल पिता– महेश्वर गोंड 361 0.813 House 15 लंघई पिता– बेजू गोंड 362 2.128 House 16 अर्जुन सिंह पिता– रूपसाह गोंड 361 0.756 LAND ONLY 17 गोंड रंगदेव पिता– बैजनाथ 365 0.953 LAND ONLY 18 विफुन सिंह पिता– दलवीर गोंड 354 0.446 House 19

गोंड

गोंड

बियार

गोंड

गोंड

बैगा

बैगा

बैगा

361

361

361

361

362

361

361

361

1.206

0.983

0.723

0.692

0.613

0.498

1.422

3.076

LAND ONLY

LAND ONLY

HOUSE

LAND ONLY

Land Only

HOUSE

HOUSE

HOUSE

कुंवरपाल पिता- अमृत सिंह

पृथ्वीपाल पिता– अमृत सिंह

रामजतन पिता– रामऔतार

इन्द्रपाल पिता- अम्मर सिंह

मुन्नीलाल पिता– छतरपाल

बुधलाल पिता– ठाकुरदीन

जमाहिर पिता- रामदयाल

रनमत सिंह पिता- रामलक्षिमन

20

21

22

23

24

25

26

27

28	जगड़साय पिता– मुरली	बैगा	361	1.041	HOUSE
29	धीरसाह पिता– घुरी	बैगा	362	1.175	HOUSE
30	जागबली पिता– मंगलू	बैगा	361	1.048	HOUSE
31	गिरदावल पिता– रामदयाल	बैगा	361	0.727	HOUSE
32	हरमंगल पिता– सरजू	गोंड़	354	1.174	HOUSE
33	धनीसिंह पिता– बलिराम	गोंड़	354	0.363	LAND ONLY
34	रामबदन पिता– घुरउ	गोंड़	354	0.255	LAND ONLY
35	माधव सिंह पिता– मितन	गोंड़	354	0.833	LAND ONL
36	अम्बर सिंह पिता– रघुनाथ	गोंड़	361	0.687	LAND ONLY
37	नार्मल सिंह पिता– बलराम	बैगा	354	0.023	LAND ONLY
38	रामप्रसाद पिता– घुरउ	गोंड़	354	0.334	House
39	अहिवरन पिता– जागवली	गोंड़	354	0.841	Land Only
40	लखपति पिता– मंगल सिंह	गोंड़	354	1.67	LAND ONLY
41	राम सिंह पिता– जगधारी	गोंड़	354	0.643	LAND ONL
42	लखपति पिता– तीरथ	बैगा	361	0.39	LAND ONL
43	छोटेलाल पिता– सहदेव	बैगा	362	0.696	LAND ONL
44	रामनारायण पिता– पूरन	पनिका	362	0.959	HOUSE
45	नागेन पिता– धीरसाह	बैगा	362	4	LAND ONL
46	अजमेर सिंह पिता–मोहन सिंह	गोंड़	361	0.795	LAND ONL
47	जयपाल पिता–नन्दलाल	गोंड़	361	1.866	HOUSE
48	जनक सिंह पिता–बैजनाथ	गोंड़	361	0.314	LAND ONL
49	मोति सिंह पिता—बैजनाथ	गोंड़	361	0.272	LAND ONL
			Total	49.343	



कार्यालय कलेक्टर, जिला–सिंगरौली (म०प्र०)

क्रमांक /2244/भू-अर्जन/22

सिंगरौली दिनांक 28 11 2022

प्रति.

कलस्टर हेड. स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल विषय:-ब्लॉक हेतु भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 17 के तहत अनुमोदित पुर्नवास एवं पूर्नस्थापन नीति प्रेषित किये जाने बावत्।

-00-विषयान्तर्गत लेख है कि सिंगरौली जिले में स्थापित मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक हेतु माननीय किमश्नर महोदय द्वारा अनुमोदित भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन नीति में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 17 के तहत जारी भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति को संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न – कमिश्नर महोदय द्वारा अनुमोदित पुर्नवास नीति।

पुर्कः / १२४५ / म-अर्जन/22

जिला-सिंगरौली (म०प्र०) हिनांक 28/11/2022

प्रतिलिपि -

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग देवसर को अनुमोदित भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन नीति की 1 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा कराने हेतु ।

2. जिला इ-गर्वनेंस मैनेजर कलेक्ट्रेट सिंगरौली को यह अनुमोदित भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन नीति की प्रति कलेक्ट्रेट सिंगरौली की वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड करने हेत् अग्रेषित।

3. तहसीलदार तहसील सरई की ओर सूचनार्थ।

4. जनसंपर्क अधिकारी, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।

5. सचिव ग्राम पंचायत झलरी / मझौलीपाठ की ओर सूचनार्थ एवं सार्वजनिक सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

6. जिला नाजिर जिला सिंगरौली की ओर कार्यालय की सार्वजनिक सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेत्।

धिरोली कोल माइन परियोजना, (मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसॉसेस प्राईवेट लिमिटेड) जिला—सिंगरोली (म0प्र0) के लिए

पुनर्वास एवं पुर्नव्यस्थापन नीति धारा 11 अधिसूचना दिनांक 15/02/2022

Mark hard or s

पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति धिरौली कोल माइन परियोजना

प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले की तहसील सरई में स्थित धिरौली कोल ब्लॉक को कोयला मुत्रालय के पत्र क. NA-104/7/2020-NA दिनांक 03 मार्च 2021 के द्वारा मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोंसेस प्राईवेट लिमिटेड को घिरौली कोल ब्लॉक के लिए सफल बोलीदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

धिरौली कोल माइन परियोजना हेतु निजी भूमि के अर्जन के लिए भू-अर्जन अधिनियम 2013 के

प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचनाओं का विवरण निम्नानुसार है :--

धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना - दिनांक 02.06.2021

धारा-11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना -दिनांक 15.02.2022

सिंगरौली जिले में एपीएमडीसी सुलियरी कोल माइन परियोजना एवं टीएचडीसी अमिलिया कोल माइन परियोजना के लिए भी भू-अधिग्रहण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं दोनों परियोजनाओं के लिए कमशः वर्ष 2018 एवं 2019 में म0प्र0 की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में समाविष्ट प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये तैयार की गुई पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति का अनुमोदन माननीय आयुक्त महोदय द्वारा किया गया है। अतः स्पीएमडीसी की सुलियरी कोल माइन की पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति 2018 एवं टीएचडीसी की अमिलिया कोल माइन परियोजना के लिए अनुमोदित पुनर्वास नीति 2019-20 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये एवं विस्थापितों के प्रतिकर सुविधाओं में समानता लाने हेतु घिरौली कोल माइन परियोजना के लिए पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति तैयार की गई है, जो अनुमोदन के दिनांक से प्रभावशील हो जायेगी।

धिरौली कोल ब्लाक, मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड परियोजनान्तर्गत तहसील सरई के अतंर्गत परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवयर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार ग्रामों की भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क.	तहसील	ग्राम का नाम	कुल निजी भूमि का अर्जित रकवा हे. में
1	सरई	आमडाड	5.17
2	सरई	सिरसवाह	0.62
3	सरई	बेलवार	11.60
4	सरई	बासीबेरदाह	147.67
5	सरई	अमरईखोह	43.056
7	oल योग		208.116

उपरोक्तानुसार घिरौली कोल ब्लाक परियोजना (मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसॉसेस प्राईवेट लिमिटेड) हेतु निजी भूमि अर्जन से प्रभावित / विस्थापित परिवारों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति

<u>भाग-1</u>

- परिभाषाएँ— 01. कम्पनी—कम्पनी से तात्पर्य मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसॉसेस प्राईवेट लिमिटेड धिरौली कोल माइन परियोजना जिला सिंगरौली से हैं।
- 02. प्रभावित क्षेत्र—प्रभावित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे गाँव या बस्ती से है जिसमे परियोजना स्थापित करने के लिए निजी, शासकीय एवं वन भूमियों का चयन किया गया है, चाहे इन निजी भूमियों का अर्जन भू—अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया गया हो या सीधे भूमि स्वामियों से क्रय किया गया हो, या शासन के द्वारा शासकीय भूमि आवंटित या वन भूमियों का व्यपवर्तन किया गया हो, किन्तु जो भू—भाग परियोजना से छोड़ा जा रहा है वह क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जावेगा। जिसे राजस्व अभिलेख नक्शा एवं खसरा मे चिन्हित किया गया हो।
- 03. विस्थापित व्यक्ति कोई व्यक्ति जो प्रभावित क्षेत्र में धारा 11 के अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 15.02.2022 के 03 वर्ष पूर्व से अपने गृहस्थ जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के साथ निवास करता हो, विस्थापित व्यक्ति कहलायेगा। किन्तु यदि कम्पनी द्वारा भूमिस्वामियों से सीधे भूमि क्रय की गई है तथा उस भूमि का भू—अर्जन नहीं किया गया है तो भूमि की रिजस्ट्री दिनांक को कटऑफ दिनांक माना जायेगा तथा उस परिवार के लिये परिवार की परिभाषा इस नीति के कण्डिका 4 (क) के अनुसार मान्य की जावेगी।
- 04. विस्थापित परिवार (क)—उपरोक्त (कण्डिका 3 मे) परिभाषित विस्थापित व्यक्तियों से बना परिवार जिसमें पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चे और परिवार के मुखिया पर आश्रित अन्य व्यक्ति उदाहरणार्थ—विधवा मॉ, विधवा बहन, अविवाहित बहन, अविवाहित पुत्री या वृद्ध माता—पिता शामिल है।
 - (ख)—विस्थापित परिवार के प्रत्येक बालिंग पुत्र, अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन एवं भाई जो धारा 11 की दिनांक 15.02.2022 को बालिंग (18 वर्ष या ऊपर) हो गया है वह पृथक परिवार के रूप में माना जावेगा।
 - (ग)— परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ऐसे अनाथ नाबालिंग बच्चो (जिनके माता-पिता न हो) को पुनर्वास लाभ दिये जाने के लिये एक अलग यूनिट माना जावेगा।

05. म-विस्थापित परिवार -

ऐसा भूमि स्वामी जिसकी निजी भूमि के अर्जन हेतु एवार्ड पारित किया गया हो या उनकी निजी भूमि परियोजना हेतु क्रय की गई हो, उसका परिवार भू—विस्थापित परिवार कहलायेगा, चाहे वह अर्जन क्षेत्र में निवास कर रहा हो या नही। वारिसाना नामान्तरण से बने दिनांक 15/02/2022 को बालिंग भूमि स्वामियों को भी अलग भू—विस्थापित परिवार माना जायेगा।

06. प्रभावित व्यक्ति-

ऐसा व्यक्ति जो अर्जन क्षेत्र में स्थित भूमि पर धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 15. 02.2022 के पूर्व 03 वर्ष से भूमि पर खेती कर रहा हो या अन्य उद्यमों द्वारा अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हो और उस ग्राम में अस्थाई/स्थाई रूप से निवास करता हो।

07. प्रभावित परिवार-

उपर्युक्त (कण्डिका 06) में परिभाषित प्रभावित व्यक्तियों से बना परिवार जिसमे पति, पत्नी तथा नाबालिंग बच्चे और परिवार के मुखिया पर आश्रित अन्य व्यक्ति उदाहरणार्थ—विधवा मॉ. परित्यक्ता ,विधवा बहन, अविवाहित बहन, अविवाहित पुत्री या वृद्ध माता—पिता शामिल है।

About the st

08. विस्थापन दिनांक — प्रत्येक विस्थापित परिवारों को रिहायसी मकान खाली कर अधिग्रहित/ आवंटित/व्यपवर्तित भूमि का भौतिक आधिपत्य पूर्ण रूप से कम्पनी को सौंपने के दिनांक को विस्थापन दिनांक माना जायेगा।

09. परियोजना के प्रभावितो की श्रेणी-

(क)—ऐसे परिवार जो धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के पूर्व परियोजना प्रभावित क्षेत्र में लगातार तीन वर्ष से खेती कर रहा हो किन्तु ग्राम में स्थाई या अस्थाई रूप से निवास नहीं कर रहा हो और भू—अर्जन में उसकी पूर्ण या आंशिक भूमि अधिग्रहीत कर ली गई हो।

(ख)—ऐसे परिवार जो धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से स्वयं के मकान या किराये के मकान मे स्थाई रूप से ग्राम मे निवास कर कोई लघुउद्योग, व्यापार, या कोई अन्य उद्यम कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हो।
(ग)—ऐसा कृषि श्रमिक जो भूमिहीन है, तथा धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से ग्राम मे निवास कर खेती से जुड़े हुए कार्य कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हो।

(घ)—ऐसे अकृषि श्रमिक जो भूमिहीन है, तथा धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से खेती से जुड़े हुए कार्य तो नहीं करते किन्तु उस ग्राम में निवास कर कृषि से जुड़े हुए अन्य कार्य कर अपने परिवार का जीवन यापन करते हो। (ड0)—ऐसे परिवार जो धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से ग्राम में अस्थाई रूप से निवास कर कृषि कार्य तो नहीं करते किन्तु वनोपज द्वारा अपने परिवार का जीवन यापन करते हो।

10. पुनर्वास अनुदान की शर्ते—कण्डिका 09 में वर्गीकृत प्रभावित परिवार, यदि उक्त में से एक या एक से अधिक श्रेणी में आते हैं तो उन्हें एक ही श्रेणी से प्रभावित मान कर पुनर्वास लाभ दिये जाने हेत् पात्र समझा जावेगा

11. रिहायशी मकान : रिहायशी मकान से तात्पर्य वैसे मकान से है जिसमे कोई परिवार या व्यक्ति स्थायी रूप से भूमि अर्जन की प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि 15.02.2022 के तीन वर्ष पूर्व से अपने गृहस्थ जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के साथ निवास करता हो।

भाग-2 (व्यक्तिगत लाभ)

01. पुनर्वास अनुदान-पुनर्वास अनुदान के रूप प्रत्येक विस्थापित परिवार को (मकान खाली करने के उपरान्त) विस्थापन उपरान्त 300 कार्य दिवस की मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवार्ड दिनांक को प्रचलित न्यूनतम कृषि मजदूरी (MAW) की दर से परिगणित राशि का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा।

02. (अ-1)-मकान/प्लाट का आवंटन - परियोजना से विस्थापित परिवार को 90x60 वर्गफुट का प्लाट पुनर्वास के लिए चयनित ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे दिया जावेगा, जिसमें कम्पनी के द्वारा मकान का निर्माण कराया जावेगा। यदि विस्थापित परिवार के द्वारा कम्पनी द्वारा निर्मित मकान नहीं लिया जाता है तो उसके एवज में मकान निर्माण के लिए 6.00 लाख रू० कम्पनी द्वारा देय होगा। यदि कोई परिवार पुनर्वास कालोनी मे प्लाट नहीं लेना चाहता है तो उसे प्लाट के बदले 2.50 लाख की राशि का भुगतान किया जावेगा। यदि कोई विस्थापित परिवार प्लाट एवं मकान दोनो नहीं लेना चाहता है तो उसे प्लाट के बदले 2.50 लाख कि एवं मकान के बदले 6.00 लाख रू०, कुल मिलाकर 8.50 लाख रू० देय होगा।

Page 4 of 9

(अ-2)-कैटल शैड/छोटी दुकान हेतु अनुदान - पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कृद्म्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो न्यूनतम 75,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(ब) प्लाट का स्वत्वाधिकार-पुनर्वास कालोनी में विस्थापितों को कंपनी के आवंटन पत्र के आधार पर संबंधित तहसीलदार द्वारा विहिंत प्रारूप पर पट्टा जारी किया जावेगा। जिस पर विस्थापित व्यक्ति को भूमिस्वामी के समस्त अधिकार प्राप्त होगें एवं तहसीलदार के द्वारा जारी पट्टे के आधार पर नामान्तरण किया जा सकेगा। पट्टेदार भूमिस्वामी को विधि अनुसार भूमि के अन्तरण का अधिकार होगा।

04. विस्थापन कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च - प्रत्येक विस्थापित परिवार को भवन सामग्री घरेल सामान व परिवार तथा पशुओं के दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक मुश्त राशि

रूपये 60,000.00 / -(साठ हजार रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

05. वृद्धावस्था पेंशन-प्रत्येक विस्थापित महिला एवं पुरूष सदस्य जिसकी उम्र विस्थापन दिनांक को 60 वर्ष की हो चुकी है उन्हें प्रतिमाह 2000.00 (दो हजार) रू0 की दर से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान आजीवन अथवा धिरौली कोल ब्लॉक बन्द होने तक दिया जावेगा (यह राशि कृषक श्रमिकों के सूचकांक

के हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रैल माह में सूचकांकन किया जायेगा)।

06. शिक्षा एवं छात्रवृत्ति— परियोजना क्षेत्र से विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार के बच्चों के अध्ययन के लिये खेल के मैदान सहित सर्व सुविधा युक्त विद्यालय भवन का निर्माण कम्पनी द्वारा पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई में कुसुया जावेगा। इस विद्यालय में कक्षा नर्सरी से 10+2 स्तर तक हिन्दी / अंग्रेजी माध्यम(सीबीएसई बोर्ड एवं डी.पी.एस. स्टैंडर्ड या उसके समकक्ष) से अध्ययन हेतु विद्यालय संचालित किया जायेगा तथा अध्ययन करने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी, एवं विस्थापित परिवार के अध्ययन करने वाले प्रत्येक बच्चे को पुस्तके, लेखन सामग्री, स्कूल यूनीफार्म की व्यवस्था कम्पनी द्वारा निःशुल्क की जावेगी। विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्सोहित करने के लिए कम्पनी द्वारा प्रतिमाह निम्नानुसार छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जावेगी-

कक्षा	बालक	बालिका
नर्सरी से 12 तक	700	900

10वीं एवं 12वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी में उर्त्तीण छात्र/छात्राओं को 50,000 रू0 दिया जावेगा।

07. चिकित्सा स्विधा-कंपनी के द्वारा पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई में 20 बेड युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच. सी) संचालित किया जावेगा जिसमें प्रसृति गृह, पैथोलाजी लैब, आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, बाह्य रोगी चिकित्सा कक्ष, औषधालय भण्डार, अभिलेखागार, कार्यालय एवं प्रतीक्षा गृह, पेय जल आदि का प्रावधान

होगा। इस चिकित्सालय मे परियोजना से विस्थापित / प्रभावित परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

08. महुआ एवं तेन्द्र पत्ता संग्रहण भत्ता-प्रत्येक विस्थापित परिवार जो महुआ या तेन्द्रपत्ता का संग्रहण करके अथवा अन्य बनोपज / बनाधिकार से अपने परिवार का जीवन यापन करता था, जिसकी पृष्टि वनविभाग द्वारा जारी किये गये समुचित दस्तावेजों से होती है उसे तो न्यूनतम 500 कार्य दिवसों की मध्य प्रदेश शासन द्वारा एवार्ड दिनांक को प्रचलित न्यूनतम कृषि मजदूरी दर से परिगणित राशि जो रू० 100000.00 (एक लाख) से कम नहीं होगी,

एक मुश्त देय होगी।

09. विस्थापित परिवार को नौकरी, प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति-

क, प्रत्येक विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को परियोजना की आवश्यकता एवं योग्यतानुसार कम्पनी या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त एम.डी.ओ./संविदाकार में, रोजगार/नौकरी उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जावेगी। अशिक्षित विस्थापितों को परियोजना क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों में अकुशल श्रमिक के रूप रोजगार उपब्लंध कराये जाने में प्राथमिकता दी जावेगी। परियोजना में रोजगार के लिए विस्थापित व्यक्ति अपना नाम परियोजना प्रतिनिधियों के पास दर्ज करायेंगे। इस कार्य में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच का सहयोग अपेक्षित रहेगा। परियोजना प्रबंधक द्वारा समय—समय पर परियोजना प्रमावित परिवारों के लिए स्थिल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाये जावेंगे ताकि परियोजना से विस्थापित परिवारों की कुशलता का विकास हो सके एवं उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर एवं परियोजना में रोजगार मिल सके!

भू अर्जन के विरूद्ध रोजगार देने के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग तथा महिलाएं, जिनकी भूमि का अर्जन परियोजना हेतु किया जा रहा है तो ऐसे विस्थापित परिवार के सदस्यों में से परिवार के मुखिया द्वारा नामित व्यक्ति को रोजगार देने में प्राथमिकता दिया जायेगा। तथा इस संबंध में केन्द्र एवं राज्य में प्रचलित अधिनियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ख. रोजगार / नौकरी की व्याख्या— रोजगार / नौकरी से तात्पर्य है कि कम्पनी के द्वारा किसी विस्थापित परिवार को परियोजना में या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त एम.डी.ओ. / संविदाकार के माध्यम से सीधे नियुक्ति आदेश जारी करते हुए नियमित रूप से मासिक वेतन दिया जाकर नियमित कर्मचारियों की भॉती नियमित कटौती किया जाता है। यह

नौकरी कम्पनी या फिर कंपनी द्वार नियुक्त एम.डी.ओ./संविदाकार के नियमानुसार होगा।

ग. यदि कम्पनी द्वारा विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी में नहीं लिया जाता है या वह स्वयं नौकरी नहीं करना चाहता है तो उस घरिवार के एक सदस्य को स्वरोजगार के लिए रू० 6.00 लाख (रू० छः लाख) अनुदान राशि का एक मुश्त भुगतान या फिर 2800 / — (यह राशि कृषक श्रमिकों के सूचकांक के हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रैल माह में सूचकांकन किया जायेगा) प्रति माह वार्षिकी (Annuity) 20 वर्ष तक कम्पनी द्वारा दिया जायेगा।

घ. बेरोजगारी भत्ता-

परियोजना से विस्थापित हो रहे परिवारों में से हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को विस्थापन दिनांक से 03 वर्ष के अन्दर यदि कम्पनी द्वारा रोजगार नहीं दिया जाता है तो उस व्यक्ति को तत्कालिन प्रचलनशील न्यूनतम शासकीय कृषि मजदूरी दर (MAW) के मान से परिगणित सिश, जो कि रू० 7200/- प्रति माह से कम नहीं होगा, दिया जावेगा। यदि परिवार के मुखिया कोई महिला सदस्य है तो उसे भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। किन्तु यह बेरोजगारी भत्ता विस्थापन दिनांक से 03 वर्ष की अविध तक देय होगा, बसर्ते उस परिवार के एक व्यस्क सदस्य को स्वरोजगार के लिए कम्पनी द्वारा रू० 6.00 लाख एक मुश्त राशि या 2800/- (यह राशि कृषक श्रमिकों के सूचकांक के हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रैल में सूचकांकन किया जायेगा) प्रति माह वार्षिकी (Annuity) 20 वर्ष तक का शुरूआत नहीं किया गया हो।

ड. रोजगार व नौकरी के विकल्पों का चयन — यदि कोई विस्थापित व्यक्ति कंडिका घ में उल्लिखित रोजगार / नौकरी के एवज में बेरोजगारी भुगतान की शुरूआत पश्चात रोजगार / नौकरी के एवज में एक मुश्त देय राशि के विकल्प का चयन करता है तो वैसी स्थिति में कम्पनी द्वारा एक मुश्त राशि के भुगतान दिनांक तक भुगतान की गयी बेरोजगारी भत्ता की राशि को घटाकर शेष राशि प्रदान किया जावेगा।

च. विस्थापितों को प्रशिक्षण— कम्पनी के द्वारा अकुशल विस्थापितों के लिए नि:शुल्क औद्यौगिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आयोजित कराये जायेंगें, तथा प्रशिक्षित विस्थापितों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान विस्थापित परिवार के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें एक सदस्य को 1000 / — प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

Ab referred Page 6 of 9

- 10. स्वयं का रोजगार— कम्पनी के द्वारा विस्थापितों के अन्दर स्वयं का रोजगार स्थापित करने की क्षमता को विकशित करने के लिए कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण आयोजित कराये जायेंगें।
 - क. विस्थापित परिवार के सदस्यों को सहकारी समितियों के माध्यम से या व्यक्तिगत ठेके के माध्यम से कार्य में लगाया जावेगा।
 - ख. कम्पनी के आवश्यतानुसार, विस्थापितों के द्वारा क्रय किये गये वाहनों को कम्पनी के कार्य में लगाये जाने में प्राथमिकता दी जावेगी।
 - ग. पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई में निर्मित की गई दुकानों का आवंटन विस्थापित परिवारों को निःशुल्क किया जावेगा इनके लिए 90 प्रतिशत दुकानों का आरक्षण किया जावेगा। उक्त आरक्षण मुख्यतः किराना जनरल स्टोर, दवाई, दूध ब्रेड, लॉण्ड्री, सब्जी, फल आदि की दुकानों के लिए किया जावेगा। इन्ही दुकानों में से एक दुकान उचित मूल्य की दुकान के लिए सुरक्षित रखी जावेगी। दुकान आवंटन का प्राथमिकता क्रम में निम्न वर्गों में आन्तरिक आरक्षण व्यवस्था अन्तर्गत लॉटरी निकाल कर किया जायेगा। उक्त आवंटन 03 वर्ष तक किया जायेगा। 03 वर्ष बाद पुनः आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। आवंटिती को स्वंय दुकान का संचालन करना पड़ेगा, अन्य को अन्तरित नहीं कर सकेगा। आवंटिती द्वारा दुकान के दुरूपयोग पर आवंटन निरस्त किया जायेगा। दुकान आवंटन का प्राथमिकता कम निम्नानुसार है :--
 - 1. महिला द्वारा संचालित स्व-सहायता समृह (सभी वर्गो के लिए)।
 - 2. शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति (सभी वर्गों के लिए)।
 - 3. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति।
 - 4. अनुसूचित जाति के व्यक्ति।
 - 5. अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति।
 - 6. महिला मुखिया से चलने वाले परिवार के सदस्य (सभी वर्गों के लिए)।
 - 7. सामान्य वर्ग के व्यक्ति।

किन्तु यदि उक्त कमांक 01 से 07 तक निश्चित की गई श्रेणियों के आवंटन के लि पात्र कई व्यक्तियों के आवंदन पत्र दुकान प्राप्त करने के लिए लाये जाते है तो ऐसी स्थिति में दुकान की उपलब्धता के अनुसार लाटरी सिस्टम से उस वर्ग के व्यक्ति को दुकान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

11. श्रमकारी ठेका समितियों का गठन — श्रम ठेका समितियों का गठन परियोजना से विस्थापित परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किया जावेगा। परियोजना की आवश्कतानुसार छोटे निर्माण अथवा अन्य कार्य कराये जाने में इन समितियों के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी। ऐसी स्व—रोजगार समिति एवं समूहों के गठन संबंधी समस्त कार्यवाही कम्पनी द्वारा की जावेगी। इन समितियों का पंजीकरण उप पंजीयक सहकारी समितियों के द्वारा कराया जायेगा। जिला प्रशासन कम्पनी और पंजीकृत श्रम समिति के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया जावेगा. जिसके

आधार पर ऐसी समिति को परियोजना में कार्य दिया जा सकेंगा।

12. मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में छूट —
परियोजना से प्रभावित / विस्थापित व्यक्तियों द्वारा विस्थापन होने के पश्चात यदि कृषि भूमि खरीदी जाती है तो मध्य प्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 की कंडिका (29.3) के तहत विस्थापित परिवारों को कृषि भूमि खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अधिग्रहण से प्रभावित क्षेत्रफल के बराबर क्रय की गई भूमि का मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क कम्पनी द्वारा देय होगा। इस कार्य से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किये गये मुआवजे का सही उपयोग किया जा सकेगा, और कृषि रोजगार को बढावा भी मिलेगा।

Ø

Soughort

Page 7 of 9

भाग-3 पुनर्वास कालोनी एवं उसमें दी जाने वाली सुविधाएँ

01. विस्थापितों के लिए चयनित ग्राम जद्ठाटोला तहसील सरई में पुनर्वास हेतु तैयार किये गये भवनों

के साथ जुड़ी हुई निम्नलिखित सुविधाएं विस्थापितों को उपलब्ध कराई जावेगी :--

(क) विद्यालय भवन— पुनर्वास कालोनी में विस्थापितों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु सर्वसुविधा युक्त हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन का निर्माण कम्पनी द्वारा कराया जायेगा। इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को खेलने के लिए खेल के उपकरणों सिहत खेल के मैदान की व्यवस्था की जायेगी। पुस्तकालय में हर वर्ष 50000/—रू० (पचास हजार) फण्ड दिया जायेगा। जिसका उपयोग स्कूल के प्राचार्य द्वारा पुस्तक खरीदने में किया जायेगा।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र — कंपनी के द्वारा पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे 20 बेड युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किया जावेगा जिसमें प्रसूति गृह, पैथोलाजी लैब, आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, बाह्य रोगी चिकित्सा कक्ष, औषधालय भण्डार, अभिलेखागार, कार्यालय एवं प्रतीक्षा गृह, पेय जल आदि का प्रावधान होगा। इस चिकित्सालय मे परियोजना से विस्थापित / प्रभावित परिवार के सदस्यों को

निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

(ग) सामुदायिक भवन- पुनर्वास कालोनी के लिए एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जावेगा

जिसमें एक हाल, एक कार्यालय कक्ष, एक पुस्तकालय एवं एक भण्डार गृह सम्मिलित होगा।

(घ) हाट बाजार परिसर— विस्थापितों के जीवन से जुड़ी आवश्यक सामग्रियों के प्रदायगी को सुलभ बनाने के लिए पुनर्वास कालोनी परिसर में साप्ताहिक बाजार लगाये जाने के लिए 5000 वर्गमीटर परिमाप की भूमि सुरक्षित रखी जावेगी। सौप्ताहिक बाजार में लाइट, चबूतरा, टीनशेड, पानी पीने की व्यवस्था, पार्किंग की जगह रहेगी।

(ड0) सार्वजनिक खेल का मैदान— विस्थापितों के बच्चों को खेलने के लिए पुनर्वास कालोनी में खेल के मैदान के लिए 10,000 वर्गमीटर (01 है0) के परिमाप में भूमि सुरक्षित रखी जावेगी। खेल के मैदान का विकास एवं सुधार कम्पनी द्वारा किया जावेगा। शौचालय एवं आर0ओं प्लांट लगेगा। स्कूल में खेलकूद

हेत् 20,000 रू० का फण्ड प्रति वर्ष दिया जावेगा।

(चं) शुद्ध पेय जल व्यवस्था— विस्थापितों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था हेतु ओवर हेड टैंक बनाकर पाइप लाईन से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जावेगी। यदि यह योजना सफल नहीं होती तो प्रत्येक 20 परिवार के लिए एक हैण्डपम्प लगाये जाने को प्राथमिकता दी जायेगी।

(छ) उचित मूल्य की दुकान- विस्थापितों को शासकीय दर पर खाद्यान्न सुलभ कराने हेतु एक उचितमूल्य

की दकान की स्थापना की जायेगी।

(ज) ऑगनवाड़ी केन्द्र— विस्थापित परिवारों के बच्चों, कुमारी कन्याओं एवं गर्भवती महिलाओं, के पोषण आहार की सुलभ व्यवस्था के लिए पुनर्वास कालोनी में ऑगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

(झ) मंदिर/मस्जिद/गिरिजाघर की स्थापना — पुनर्वास कालोनी में विस्थापितों के धार्मिक अनुष्ठान, पूजन आदि की व्यवस्था के लिए आवष्यकतानुसार मंदिर/मस्जिद/ गिरिजा घर का निर्माण कराया जावेगा।

(अ) सड़क- विस्थापितों के आवागमन की सुविधा के लिए पुनर्वास कालोनी को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 12 मीटर चौड़ी पक्की सड़क एवं कालोनी के अन्दर 09 मीटर चौड़ी पक्की सड़क का निर्माण कराया जावेगा।

(ट) सड़क विद्युत (स्ट्रीट लाईट)- विस्थापितों के प्रकाश युक्त आवागमन की सुविधा के लिए आन्तरिक

एवं बाह्य सड़कों को विद्युत से प्रकाशित किया जायेगा।

(ठ) जल प्रभाव के लिए पक्की नालियाँ— विस्थापितों की कालोनी में बने हुए आवासीय मकानों की जल निकासी के लिए सड़क के किनारे पक्की नालियों का निर्माण कराया जायेगा।

(ड) श्मसान किंद्रिस्तान परिसर- विस्थापितों के उपयोग हेतु कालोनी परिसर की बाह्य सीमा में विस्थापितों की सहमति के अनुसार श्मसान किंद्रिस्तान का निर्माण कराया जावेगा। जिसमें पानी की व्यवस्था एवं पहुँच हार्ग का निर्माण कराया जायेगा।

Bangar Sof

नोट :- परियोजना द्वारा स्थापित पुनर्वास ग्राम की समस्त सुविधाएं तथा रोड पंचायत भवन इत्यादी ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगी।

(ढ) शौंचालयों की व्यवस्था— पुनर्वास कालोनी में विस्थापितों को आवंटित किये जाने वाले कम्पनी द्वारा निर्मित प्रत्येक मकानों में शौंचालयों की सुविधा का प्रावधान रखा गया है तथा सभी सार्वजनिक भवनों जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन, ऑगनवाड़ी, हाट बाजार परिसर इत्यादि में उचित संख्या में महिलाओं एवं पुरूषों के लिए पृथक—पृथक सामृहिक शौंचालयों का निर्माण कराया जायेगा।

02. विशेष पैकेज— परियोजना प्रभावित वह व्यक्ति जो परियोजना के अधिग्रहण क्षेत्र में धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के 03 वर्ष पूर्व से खेती करता चला आ रहा हैं, और उसकी निजी भूमि अर्जित कर ली गई है, किन्तु वह उस ग्राम में मकान बनाकर आवाद नहीं है, जिसकी प्रमाणिकता वर्ष 2018—2019 के राजस्व अभिलेख से सिद्ध पाई जाती है, तो उन्हें भूमि की प्रतिकर राशि के अतिरिक्त निम्नानुसार विशेष पैकेज कम्पनी द्वारा दिया जावेगा:—

क- 0.01 से 0.99 हे0 भूमि पर - रू0 1500 प्रति परिवार प्रतिमाह। ख- 1.00 हे0 से 1.99 हे0 भूमि पर - रू0 2000 प्रति परिवार प्रतिमाह। ग- 2.00 हे0 से 3.99 हे0 भूमि पर - रू0 2500 प्रति परिवार प्रतिमाह। घ- 4.00 हे0 से ऊपर - रू0 3000 प्रति परिवार प्रतिमाह।

उपरोक्त राशि प्रभावित परिवार के मुखिया को उसकी उम्र 50 वर्ष पूर्ण होने तक अथवा 20 वर्ष तक अथवा कम्पनी के बन्द होने तक जो भी पहले हो दिया जायेगा। किन्तु उपरोक्त विशेष लाभ उस परिवार को देय नहीं होगा जिसका कोई भी एक सदस्य परियोजना के रोजगार में नियोजित हैं। विशेष पैकेज हेतु पात्र व्यक्ति के रकवे क्या निर्धारण अवार्ड में अंकित रकवे से किया जायेगा।

भाग-4

विवादो का निपटारा-

यदि किसी प्रकरण में विस्थापन की पात्रता के निर्धारण या विस्थापन से संबंधीत अन्य किसी मामले में विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो प्रभावित व्यक्ति के द्वारा आवेदन करने पर कलेक्टर द्वारा निराकरण किया जावेगा जो दोनो पक्षों को मान्य होगा। कलेक्टर का आदेश अन्तिम एवं उभयपक्ष पर बाध्यकारी होगा।

राजीव रंजन मीना कलेक्टर जिला—सिंगरौली (म.प्र.) बच्चा प्रसाद कलस्टर हेड स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसॉसेस प्राईवेट लिमिटेड जिला—सिंगरौली (म.प्र.)